



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122022-240787
CG-DL-E-03122022-240787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3, 2022/अग्रहायण 12, 1944

No. 78]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3, 2022/AGRAHAYANA 12, 1944

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

आ.अ. 78(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ.प्र.-लो.स./2019(1), दिनांक 9 जनवरी, 2019 के द्वारा अधिसूचित मौजूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के 21-मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की, 21-मैनपुरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से प्रचलित उप-निर्वाचन में मतगणना के कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1.	2.
21-मैनपुरी	1-उप जिलाधिकारी, कुरावली ।
	2-उप जिलाधिकारी, धिरोर ।
	3-डिप्टी कलेक्टर, मैनपुरी ।
	4-जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ।

	5-सहायक जिला रोजगार सेवायोजन अधिकारी, मैनपुरी ।
	6-जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, मैनपुरी ।
	7-जिला कृषि अधिकारी, मैनपुरी ।
	8-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मैनपुरी ।
	9-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी ।
	10-उपायुक्त, एन.आर.एल.एम., मैनपुरी ।
	11-जिला प्रोबेशन अधिकारी, मैनपुरी ।
	12-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मैनपुरी ।
	13-अधिशाली अभियन्ता, पी.एम.जे.एस.बाई., लो.नि.वि., मैनपुरी।
	14-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, मैनपुरी ।

2. सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, 21-मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रचलित निर्वाचन में मतों की गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेंगी ।

[फा. सं. 434/उ.प्र.-लो.स./2019(1)]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

O.N. 78(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, hereby, appoints the officers of the Government specified in Column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers, in addition to the existing Assistant Returning Officers notified vide Commission's Notification No. 434/UP-HP/2019(1), dated 9th January, 2019, as amended from time to time, to assist the Returning Officer of 21-Mainpuri Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Column (1) of the Table, in execution of his works with respect to the Counting of Votes, for the ongoing Bye Elections from 21-Mainpuri Parliamentary Constituency:-

TABLE

Number & Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1.	2.
21-Mainpuri	1-Sub Divisional Magistrate, Kuraoli
	2-Sub Divisional Magistrate, Ghiror
	3-Deputy Collector, Mainpuri
	4-District Inspector of School, Mainpuri
	5-Assistant District Employment Officer, Mainpuri
	6-District Divyangjan Employment Officer, Mainpuri
	7-District Agriculture Officer, Mainpuri
	8-District Backward Welfare Officer, Mainpuri
	9-District Basic Education Officer, Mainpuri
	10-Deputy Commissioner N.R.L.M., Mainpuri

	11-District Probation Officer, Mainpuri
	12-Executive Engineer, Construction Division, (P.W.D.), Mainpuri
	13-Executive Engineer, P.M.J.S.Y. (P.W.D.), Mainpuri
	14-Executive Engineer, Construction Division-3 (P.W.D.), Mainpuri

2. The above officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing Bye elections from 21-Mainpuri Parliamentary Constituency.

[F.No. 434/UP-HP/2019(1)]

By Order,
AMIT KUMAR, Secy.